रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012020-215489
CG-DL-E-16012020-215489

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 15, 2020/पौष 25, 1941
No. 32] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 15, 2020/PAUSHA 25, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 34(अ).—केंद्रीय सरकार ने लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6) की धारा 7क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 768(अ), तारीख 4 नवंबर, 2008 द्वारा पर्यावरण राहत निधि स्कीम, 2008 नामक स्कीम को अधिसूचित किया है;

और पर्यावरण राहत निधि स्कीम, 2008 के पैरा 4 के उप-पैरा (1) में उपबंध किया गया कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड उक्त स्कीम की अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम का निधि प्रबंधक होगी;

उक्त निधि प्रबंधक की पांच वर्ष की अवधि 3 नवंबर, 2013 को समाप्त हो गई थी;

और केंद्रीय सरकार ने भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 497(अ), तारीख 10 जुलाई, 2014 द्वारा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आगे 31 दिसंबर, 2014 तक की अवधि के लिए निधि प्रबंधक के रूप में पुन: नियुक्त किया था;

और केंद्रीय सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 287(अ), तारीख 30 जनवरी, 2015 द्वारा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आगे 30 जून, 2015 तक की अवधि के लिए निधि प्रबंधक के रूप में पुन: नियुक्त किया था;

और केंद्रीय सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1878(अ), तारीख 13 जुलाई, 2015 द्वारा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आगे 31 दिसंबर, 2015 तक की अवधि के लिए निधि प्रबंधक के रूप में पुन: नियुक्त किया था;

और भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 256(अ) तारीख 27 जनवरी, 2016 में संशोधन द्वारा आगे 31 मार्च, 2016 तक की अवधि के लिए निधि प्रबंधक की अवधि बढ़ा दी थी;

और केंद्रीय सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 606(अ), तारीख 16 जून, 2016 द्वारा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आगे 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए निधि प्रबंधक के रूप में पुन: नियुक्त किया था;

और भारत सरकार ने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 419(अ), तारीख 13 जून, 2019 द्वारा आगे 30 जून, 2019 तक की अवधि के लिए निधि प्रबंधक की अवधि बढ़ा दी थी;

और भारत सरकार ने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 538(अ), तारीख 31 जुलाई, 2019 द्वारा आगे 15 अगस्त, 2019 तक की अवधि के लिए निधि प्रबंधक की अवधि बढ़ा दी थी;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण राहत निधि स्कीम, 2008 के पैरा 4 के उप-पैरा (2) के अनुसरण में और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 606(अ), तारीख 16 जून 2016 को, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रांत करते हुए अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, 15 अगस्त, 2024 तक की अवधि के लिए पर्यावरण राहत निधि स्कीम, 2008 के अधीन निधि प्रबंधक के रूप में यूनाइटेड इंडिया इंश्यारेंस कंपनी लिमिटेड को पुन: नियुक्त करती है।

[फा.सं. 18-13/91-पीएल-एचएसएमडी]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सा.का.नि. 768(अ), तारीख 4 नवंबर, 2008 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2020

G.S.R. 34(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 7A of the Public Liability Insurance Act, 1991 (6 of 1991), the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide notification number GSR 768(E), dated the 4th November, 2008, notified a scheme, namely, the Environment Relief Fund Scheme, 2008;

And whereas, sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Environment Relief Fund Scheme, 2008 provided that the United India Insurance Company Limited shall be the Fund Manager of the said scheme for a period of five years from the date of notification of the said scheme;

And whereas, the five year term of the said Fund Manager expired on 3rd November, 2013;

And whereas, the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide a notification number G.S.R. 497 (E), dated the 10th July, 2014, the Central Government reappointed the United India Insurance Company Limited as a Fund Manager for a further period upto 31st December, 2014;

And whereas, the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 287 (E), dated the 30th January, 2015, the Central Government reappointed the United India Insurance Company Limited as a Fund Manager for a further period upto 30th June, 2015;

And whereas, the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1878 (E), dated the 13th July, 2015, the Central Government reappointed the United India Insurance Company Limited as a Fund Manager for a further period upto 31st December, 2015;

And whereas, the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change by an amendment to notification number S.O. 256 (E), dated the 27th January, 2016, extended the tenure of Fund Manager for a further period upto 31st March, 2016;

And whereas, the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number GSR 606 (E), dated the 16th June, 2016, the Central Government reappointed the United India Insurance Company Limited as a Fund Manager for a further period upto 31st March, 2019;

And whereas, the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number GSR 419 (E), dated the 13th June, 2019 extended the tenure of Fund Manager for a further period upto 30th June, 2019 ;

And whereas, the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number GSR 538 (E), dated the 31st July, 2019, extended the tenure of Fund Manager for a further period upto 15th August, 2019;

Now, therefore, in pursuance of sub-paragraph (2) of paragraph 4 of the Environment Relief Fund Scheme, 2008, and in supersession of notification number G.S.R. 606(E), dated the 16th June, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby reappoints the United India Insurance Company Limited as a Fund Manager under the Environment Relief Fund Scheme, 2008, for a period upto 15th August, 2024.

[F. No. 18-13/91-PL-HSMD]

GEETA MENON, Jt. Secy.

IndiaCode

Note: The principal notification was published in the Gazette of India vide number G.S.R. 768 (E), dated the 4th November, 2008.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.01.16 22:21:26 +05'30'